Q/HA/2166
6/9/2010

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.16(5)चिस्वा/2/1998 जयपुर, दिनांकः 30.08.2010

NO/PA/Dir/AIDS/
Govt/218
01 SEP 2010
D. M. & H. S. (AIDS)

परिपत्र

विषय :– निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1996 के संशोधित नियमों की पालना के क्रम में।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.06.2010 की निरन्तरता में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल समूह के अधीन विषय–विशेषज्ञ विभाग के "विभागाध्याक्ष" अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ (जो कि सबंधित विषय में संकाय सदस्य हेतु आवश्यक भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखता हो) को विषय विशेषज्ञ हेतु सक्षम माना जायेगा। इनके द्वारा जारी निशक्तः प्रमाण पत्रों पर संबंधित चिकित्सालयों के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे।

(आर.सी.ढेनवाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है :–

1– आयुक्त निःशक्त जन, जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल के पीछे, रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3– समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर। (aids)
4– समस्त प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल–समूह, राजस्थान।
5– संयुक्त निदेशक, जोन–राजस्थान।
6– समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
7– रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव